

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध रिट याचिका सं०.- 5917 वर्ष 2026**

अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोलू

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : निशा श्रीवास्तवप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा. अधि.

न्यायालय सं०. - 16**माननीय न्यायमूर्ति, मनीष माथुर****माननीय न्यायमूर्ति, ज़फ़ीर अहमद**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान एजीए को सुना गया, वहीं प्रतिपक्षी संख्या 4 की ओर से श्री दुर्गेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, द्वारा वकालतनामा दाखिल किया गया है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

2. याचिका में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 09.02.2026 जो थाना- हैदरगढ़, जिला- बाराबंकी में बीएनएस की धारा 351(2), 352, 115(2) के अंतर्गत मुकदमा अपराध सं०.0048 वर्ष 2026 के रूप में दर्ज की गई थी को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि कथित अपराधों में सात साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में, विवेचक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273** में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41-A के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
4. हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष को ध्यान में रखा है। **अर्नेश कुमार** के मामले (पूर्वोक्त) में निम्नलिखित (प्रासंगिक भाग) निर्धारित किया गया है:-

“9. एक अन्य प्रावधान, अर्थात् दं.प्रसं की धारा 41क, जिसका उद्देश्य आरोपी पर मंडराते अनावश्यक गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के खतरे को टालना है, को सक्रिय करने की आवश्यकता है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा जोड़ी गई धारा 41क, जो इस संदर्भ में प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

“41क. पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना।

(1) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, या विश्वसनीय इतिला प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान हैं कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंज्ञात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना जारी करेगा।

(2) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है वहां पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।”

“उपर्युक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि उन सभी मामलों में जहाँ दं.प्र.सं. की धारा 41(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी को आरोपी को नोटिस जारी कर एक निर्दिष्ट स्थान और समय पर उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देना आवश्यक है। कानून ऐसे आरोपी को पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करता है और आगे यह निर्देश देता है कि यदि ऐसा आरोपी नोटिस की शर्तों का पालन करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस चरण पर भी, दं.प्र.सं. की धारा 41 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी शर्तों का पालन करना होगा और मजिस्ट्रेट द्वारा वैसी ही जांच की जाएगी जैसा कि पहले बताया गया है।” (हमने इस पर जोर दिया है)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के विद्वान वकील द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, जिसका प्रासंगिक अंश ऊपर उद्धृत किया गया है, यह याचिका दं.प्र.सं. की धारा 41-A के प्रावधानों और अर्नेश कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के अनुसार निस्तारित की जाती है।

(ज़फ़ीर अहमद, न्यायमूर्ति) (मनीष माथुर, न्यायमूर्ति)

जून 30, 2026

सुबोध/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।